



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2009/चैत्र 3, 1931

No. 511]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2009/CHAITRA 3, 1931

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009

का.आ. 822(अ).—कोल इंडिया लिमिटेड (जिसमें इसका मुख्यालय, इकाइयां और सहायकियां सम्मिलित हैं) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11ग की उप-धारा (1) के अधीन कोयला खान निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रचालन से छूट के लिए आवेदन किया था।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कार्यपालक कर्मचारी उक्त स्थापन द्वारा आरंभ की गई अपने कर्मचारियों के लिए लाइफ कवर स्कीम के अधीन फायदे में किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय बिना जीवन आश्वासन में स्वरूप में हैं जो कि उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय फायदे की अपेक्षा ऐसे कर्मचारियों के लिए अधिक अनुकूल हैं।

और इसलिए केन्द्रीय सरकार कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 11ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उक्त स्थापन के कार्यपालक कौंडर कर्मचारियों को उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रचालन से राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त धनबाद को ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा, ऐसे लेखा का

अनुरक्षण करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशों के अनुसार निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा।

2. नियोजक प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11ग की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित ऐसे निरीक्षण प्रधारों का संदाय करेगा।

3. लाइफ कवर स्कीम के प्रशासन में अंतर्बलित सभी व्यय जिसमें लेखाओं का अनुरक्षण, विवरणियों को प्रस्तुत करना, लेखाओं का अंतरण और निरीक्षण, प्रभासों का संदाय भी सम्मिलित है, नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित लाइफ कवर स्कीम के नियम और कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में उसके प्रमुख विशेषताओं के अनुवाद सहित तब तक यथासंशोधित एक प्रति स्थापन सूचना पट्ट पर संप्रदर्शित करेगा।

5. नियोजक लाइफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध वृद्धि लाभों का समुचित रूप से प्रबंध करेगा, यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ गए हैं जिससे लाइफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदा कर्मचारियों के लिए उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय फायदों से अधिक अनुकूल है।

6. जहां कोई कर्मचारी जो कोयला खान भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, अपने स्थापन में नियोजित है वहां नियोजक उसे लाइफ कवर स्कीम में सदस्य के रूप में शीघ्र बनाएगा और उसके संबंध में आवश्यक प्रीमियम का संदाय करेगा।

7. नियोजक किसी कर्मचारी के संबंध में जो स्थापन छोड़ चुका है और उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले दूसरे स्थापन में चला गया है अन्य स्थापन के बाबत बीमा निधि का अंतरण करने के लिए बाहर जाने वाले कर्मचारियों के खाते में समानुपातिक प्रीमियम का प्रबंध करेगा।

8. लाइफ कवर स्कीम के उपबंधों में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन बिना कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

9. लाइफ कवर स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारी द्वारा संदत्त रकम से कम है तो नियोजक इस अंतर को कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारी या नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप में देगा।

10. जहां किसी कारण से स्थापन के कर्मचारी कोल इंडिया लिमिटेड की इस लाइफ कवर स्कीम के अधीन नहीं आते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों के लिए फायदा किसी रीति में कम है तो छूट कर्मचारियों के लाइफ कवर स्कीम के अधीन न आने की तारीख से या फायदों में कमी की तारीख से निरस्त समझी जाएगी और स्थापन को उक्त स्कीम के अधीन माना जाएगा।

[फा. सं. 20/15/2003-पीआरआईडब्ल्यू-III]

राजीव शर्मा, अपर सचिव

**MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2009

S.O. 822(E).—Whereas the Coal India Limited (which includes its Headquarters, units and subsidiaries) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (1) of Section 11 C of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) (hereinafter referred to as the said Act) from the operation of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

And Whereas, the Central Government is satisfied that the executive employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme introduced by the said establishment for its employees in the nature of life assurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the said Scheme.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11C of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the executive cadre employees of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from the date of issue of notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad, maintain such account and provide for such facilities for inspections, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 11C of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accounts and payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Life Cover Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

6. Where an employee, who is already a member of the Coal Mines Provident Fund, is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the Life Cover Scheme and pay necessary premium in respect of him.

7. The employer shall arrange, in respect of an employee who leaves the establishment and joins another establishment covered under the said Act to transfer to the Insurance Fund in respect of the other establishment, the proportionate premium to the credit of the outgoing employees.

8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme will be made, which is likely to affect adversely the interests of the employees, without approval of the Central Government.

9. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employee, the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir or nominee of the employee as compensation.

10. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of the Coal India Limited, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be deemed to have been cancelled with effect from the date the employees are not covered under the Life Cover Scheme or the date of reduction of the benefits and the establishment shall be treated as covered under the said Scheme.

[F. No. 20/15/2003-PRW-III]

RAJIV SHARMA, Addl. Secy.